IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड मेरठ–03

ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ

(Email id:-eecdmeerut03@gmail.com)

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

मानक: पथप्रदर्शकः Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक–355 /जी–14/11 दिनांकः–30.03.2024

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण
मुख्य बेंच, नई दिल्ली।

विषय : मूल प्रार्थना पत्र सं0–461/2023 सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वाद उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2024 को आदेश पारित किये गये थे कि "In the Present case the colony is stated to have been developed by uttar pradesh awas Evam Vikas parishad (UPAVP) and in the facts circumstances of the case, we consider presence of UPAVP to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case accordingly UPAVP is Impleaded as respondent no 6"

इस सम्बन्ध में विपक्षी सं0–06, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से जबाब/प्रतिउत्तर निम्नवत् है।

1. योजना सं0–6, जागृति विहार मेरठ स्थित भूखण्ड सं0–42/1 क्षेत्रफल 800 वर्ग मी0 मुख्यालय के आदेश सं0–1127/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 22.11.2006 द्वारा उक्त भूमि का बेटरमेन्ट चार्ज लेते हुए भू–स्वांमी के पक्ष में छोड़ी गयी थी। कार्यालय अभिलेखें के अनुसार जिसके स्वामी श्री अशोक जोली, श्री विनोद जोली, श्री रमन जोली एवं श्रीमती कृष्णावती द्वारा मुख्तारेआम श्री समय सिंह सैनी है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड के एक भाग (45/1) में श्री राकेश शर्मा, निवासी–476/5, जागृति विहार मेरठ द्वारा प्रश्नगत स्थल पर डेरी संचालन की सूचना अवर अभियना द्वारा दिनांक 11.12.2023 कार्यालय में दी गयी। जिसके विरूद्ध खण्ड कार्यालय के पत्रांक 1470/नोटिस/ दिनांक 13.12.2023 के द्वारा डेरी संचालक/भू–स्वांमी के विरूद्ध अन्तिम नोटिस निर्गत किया गया। जिसमें डेरी संचालक को एक माह के अन्दर डेरी संचालन की गतिविधि बन्द करने हेतु कहा गया अन्यथा की स्थिति में डेरी संचालक के विरूद्ध परिषद अधिनियम 1965 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यावाही किये जाने हेतु सूचित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

2. यह कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों की टीम द्वारा प्रश्नगत स्थल 42/1 में सृजित भूखण्ड सं0– 45/1, जागृति विहार, मेरठ का निरीक्षण दिनांक 01.02.2024 को किया गया। जिसमें पाया गया कि वर्तमान में उक्त आवासीय भूखण्ड पर टीन शैड डालकर निर्माण किया गया है। एवं प्रश्नगत स्थल पर कोई पशुपालन/डेरी का संचालन नही किया जा रहा है। स्थल फोटोग्राफ्स संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

IS15700:2018

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

71

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड मेरठ–03

ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ
(Email id:-eecdmeerut03@gmail.com)

सेवोत्तम प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक – 1470 / -नि॰ ख॰ / दिनांक: 13/12/23

सेवा में,

1. आवंटी/भू–स्वामी
श्री अशोक जोली, श्री विनोद जोली, श्री रमन जोली एवं श्रीमती कृष्णावती
द्वारा मुख्तारेआम श्री समय सिंह सैनी
निवासी–129/6, जागृति विहार मेरठ।
2. वर्तमान अध्यासी
श्री राकेश शर्मा
निवासी–476/5, जागृति विहार मेरठ।

विषयः– **योजना सं0–6, जागृति विहार मेरठ स्थित भूखण्ड सं0–42/1 के भाग पर अनाधिकृत रूप से सृजित 45/1 पर किये जा रहे डेरी के संचालन को बन्द के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि योजना सं0–6, जागृति विहार मेरठ स्थित भूखण्ड सं0–42/1 क्षेत्रफल 800 वर्ग मी0 मुख्यालय के आदेश सं0–1127/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 22.11.2006 द्वारा उक्त भूमि का बेटरमेन्ट चार्ज लेते हुए भू–स्वांमी के पक्ष में छोड़ी गयी थी। कार्यालय अभिलेखें के अनुसार जिसके स्वामी श्री अशोक जोली, श्री विनोद जोली, श्री रमन जोली एवं श्रीमती कृष्णावती द्वारा मुख्तारेआम श्री समय सिंह सैनी है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड के एक भाग (45/1) में श्री राकेश शर्मा, निवासी–476/5, जागृति विहार मेरठ द्वारा उक्त भूखण्ड पर भू–उपयोग परिवर्तन कर डेरी का संचालन किया जा रहा है। सूचित करना है कि आवासीय प्रयोग हेतु आवंटित भूखण्ड पर अवैध रूप से डेरी का संचालन करना तथा अन्य कोई व्यवसायिक प्रयोग परिषद के नियतो के अन्तर्गत अनुचित एवं अवैधानिक है।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य में आपको अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि यदि आप द्वारा एक माह के अन्दर उक्त भूखण्ड पर किये जो रहे डेरी के संचालन को बन्द नही किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के आवंटन नियमावली की सुंसगत धाराओ के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड सं0–42/1 पर सृजित भूखण्ड सं0–45/1 जागृति विहार योजना सं0–06, मेरठ के विरूद्ध वांछित कार्यवाही हेतु प्रकरण सम्बन्धित कार्यालय को सन्दर्भित कर दिया जायेग। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(वीरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0: 1470 /उपरोक्तानुसार/ तद्–दिनांक............

प्रतिलिपिः–

1– सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ–03 मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– नोटिस चस्पा

(हस्ताक्षर)
अधिशासी अभियन्ता

Sujata
Gold

ADINATH
Wheat